संख्या:   /XVII-2/2017-10(09)/2016

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज/महिला कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 11 सितम्बर, 2017

विषयः-बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना अधिष्ठान मद के अन्तर्गत कम पड़ रही धनराशि की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1812/स0क0/लेखा-बजट/पुर्न0-प्रस्ताव/2017-18 दिनांक 16 अगस्त, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना अधिष्ठान हेतु **₹ 1.00 (रूपये एक लाख मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते समय मितव्यियता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्यियता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के

लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार वि. आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के संलग्न विवरण में उल्लिखित लेखाशीर्षकों 2235–02–102–05 की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8. उक्त धनराशि वित्त विभाग के आ0शा0संख्या–922/XXVII(1)/17 दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में पुनर्विनियोग अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या– R1709150016 दिनांक 18 सितम्बर, 2017 एवं अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या– R1709150020 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के द्वारा किया गया है तथा धनराशि का आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या S1710150008 दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 के द्वारा जारी किया जा रहा है।

9. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध शासनादेश संख्या–382/XVII–2/2017–10(09)/2016 दिनांक 15 मई, 2017 के अनुसार यथावत लागू रहेंगी।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 682/XVII–2/2017–10(09)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

683 /XVII-2/17-10(09)2016

015

अलोटमेंट आई डी - S1710150008

HOD Name - Director Social Welfare (4700)

आवंटन पत्र दिनांक '04-Oct-2017

शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

102 - बाल कल्याण 02 - समाज कल्याण

05 - बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना

00 - बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted योग
01 - वेतन	1320000	0	1320000
02 - मजदूरी	3000	0	3000
03 - महंगाई भत्ता	80000	0	80000
04 - यात्रा व्यय	17000	0	17000
06 - अन्य भत्ते	62000	0	62000
07 - मानदेय	3000	0	3000
08 - कार्यालय व्यय	17000	0	17000
09 - विद्युत देय	17000	0	17000
10 - जलकर / जल प्रभार	7000	0	7000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	8000	0	8000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33000	0	33000
13 - टेलीफोन पर व्यय	7000	0	7000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	100000	100000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	33000	0	33000
18 - प्रकाशन	8000	0	8000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	17000	0	17000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	17000	0	17000
42 - अन्य व्यय	13000	0	13000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	17000	0	17000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	17000	0	17000
	1696000	100000	1796000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 100000

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2016-2017)
बी .एम. - 09

अनुदान संख्या - 015
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - ,

एलोटमेंट आईडी - R1709150016
दिनांक - 18-Sep-2017

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)		मानक मदवार वास्तविक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अभियुक्ति
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना 00 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना (Voted)					2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापन 00 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापन (Voted)				
1	05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25000	0	0	25000	16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवायें	50000	51000	0	
2	45 - अवकाश यात्रा व्यय	25000	0	0	25000	योग	50000		0	
	योग				50000					

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्या–922/XXVII(1)/17
देहरादून दिनांक 03 ~~सितम्बर~~ 2017 अक्टूबर
पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्या:-682/XVII–01/2017–10(09)/2016
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2016-2017)
बी.एम. - 09

अनुदान संख्या - 015
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - ,

एलोटमेंट आईडी - R1709150020
दिनांक - 20-Sep-2017

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक (1)		मानक मदवार वास्तविक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशी स्थानान्तरित की जाती है (5)		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अभियुक्ति
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 103 महिला कल्याण 09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 19 00 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1 (Voted)					2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण 102 बाल कल्याण 05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापन 00 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापन (Voted)				
1	27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50000	0	0	50000	16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवायें	50000	101000	0	
	योग				50000	योग	50000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
संख्या– 922/XXVII(1)/17
देहरादून दिनांक 03 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर 2017
पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्या- 68-2/XVII–01/2017–10(09)/2016
प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।